

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2024/203

रीवा दिनांक : 20/04/2024

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
सिंगरौली इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल एजुकेशन  
सिंगरौली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2023-2024 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 19-04-2024 के आइटम क्रमांक 3(09) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2023-2024 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम-100सीट।
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, गणित एवं बायोगुप, भौतिकी, वनस्पति, जन्तुविज्ञान, गणित, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रानिक्स, सांख्यिकीय, माइक्रोबायलाजी, बायोकमेस्ट्री, बायोटेक्नालाजी-180-180-180सीट।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - सभी अनिवार्य विषय-120-120-120सीट।
4	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-60-60-60सीट।
5	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60-60-60सीट।
6	बी.एच.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष-60सीट।
7	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-60सीट।
8	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर-120सीट।
9	एम.एस.डब्लू. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-120सीट।
10	पी.जी.डी.सी.ए.-120सीट।
11	बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष भूगोल, होम साइंस, राजनीतिशास्त्र-120सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2024-2025 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. सहायक कुलसचिव-परीक्षा, गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)